RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016–18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक १५] शुक्रवार, जून १७, २०१६/ज्येष्ठ २७, शके १९३८ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १९ मई २०१६ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. IX OF 2016.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९, सन् २०१६ ।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५, में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल एतद्द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है, अर्थात् :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ कहलाए ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

अध्याय दो

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४९ का ५९ की धारा ५ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (३) में,— सन् १९४९ का ५९।

(क) प्रथम परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ९ ।

" परंतु, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, के प्रारंभण के पश्चात्, निगम के आम निर्वाचनों के संबंध में, प्रत्येक वार्ड के लिए यथासंभव चार पार्षद परंतु, पार्षद तीन से कम नहीं हों और पाँच से अधिक नहीं हों निर्वाचित किये जाएंगे और इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मतदाता, अपने वार्ड में निर्वाचित होने के लिए पार्षदों की जो संख्या है, उतने ही समान मत देने के हकदार होंगे : " ;

(ख) प्रथम परंतुक में, " परंतु " शब्द के स्थान में, " परंतु आगे यह कि " शब्द रखे जाएँगे।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अधिनियम में संशोधन।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा २ में संशोधन ।

३. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " नगर परिषद अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,— सन् १९६५ का महा. ४०।

(क) खण्ड (७) में, :—

(एक) " परिषद का सदस्य ", शब्दों के पश्चात्, " सीधे निर्वाचित अध्यक्ष " शब्द रखे जाएँगे।

(दो) उप-खण्ड (दो) में, " परिषद का अध्यक्ष या " शब्द अपमार्जित किए जाएँगे ;

(ख) खण्ड (१२) के स्थान में, निम्नलिखित खण्ड, रखा जाएगा, अर्थात् :—

" (१२) " निर्वाचन " का तात्पर्य, परिषद या, यथास्थिति, अध्यक्ष के पद के निर्वाचन से है और उसमें अन्य उप-निर्वाचन शामिल है ; "।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ९ में संशोधन ।

४. नगर परिषद अधिनियम की धारा ९ की, उप-धारा (१) के खण्ड (क) में, " पार्षद " शब्दों के स्थान में, " अध्यक्ष और पार्षद " शब्द रखे जाएँगे ।

५. नगर परिषद अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (२) में, निम्नलिखित परंतुक, जोडा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा १० में संशोधन ।

"परंतु, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, के प्रारंभण के पश्चात्, **नगर परिषद** के आम निर्वाचनों के संबंध में, प्रत्येक वार्ड के लिए यथासंभव दो पार्षद परंतु तीन पार्षदों से अधिक नहीं हों, निर्वाचित किये जायेंगे और धारा १४ की उप-धारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मतदाता अपने वार्ड में निर्वाचित होने के लिए पार्षदों की जो संख्या है, उतने ही समान मत देने के हकदार होंगे। "। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ९।

६. नगर परिषद अधिनियम की धारा ५१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, रखी जाएगी, अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१ क-१क का निवेशन ।

"**५१ क-१क.** (१) महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, के प्रारंभण के पश्चात्, परिषद के आम निर्वाचनों के संबंध में, धारा ५१ क-१क के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक परिषद का एक अध्यक्ष होगा जिसे उन व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा जिनके नाम धारा ११ के अधीन तैयार की गई नगर निगम मतदाता सूची में शामिल हैं। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ९। अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन ।

(२) धारा १५ के अधीन पार्षद के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए प्रत्येक अर्हित व्यक्ति, निर्वाचन में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित होगा।

(३) अध्यक्ष का निर्वाचन, परिषद के आम निर्वाचनों के साथ-साथ होगा और परिषद के निर्वाचन कराने संबंधी प्रक्रिया, **यथावश्यक परिवर्तन सहित,** ऐसे निर्वाचन को लागू होगी।

(४) यदि निर्वाचन में, अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है तो, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नया निर्वाचन होगा और यदि नये निर्वाचन में अध्यक्ष को निर्वाचित करने में असफल होते हैं तो ऐसी रिक्ति, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचित पार्षदों द्वारा उनके बीच से निर्वाचिन द्वारा भरी जाएगी।

(५) उप-धारा (४) या (७) के अधीन निर्वाचित कोई भी व्यक्ति, इस धारा के अधीन निर्वाचन में सम्यक रूप से निर्वाचित समझा जाएगा।

(६) यदि, अध्यक्ष के निर्वाचन में, मतों की समानता है तब निर्वाचन के परिणाम का विनिश्चय इस प्रयोजन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा लाट में चिठ्ठी निकालकर किया जाएगा।

(७) यदि, निर्वाचित पार्षदों की पदावधि के दौरान, किसी कारणवश अध्यक्ष के पद की रिक्ति होती है तो, उप-धाराएँ (१) से (६) में यथा उपबंधित समान प्रक्रिया लागू होगी और ऐसा अध्यक्ष, केवल उस कार्यकाल के शेष भाग के लिए पद पर बना रहेगा परंतु, ऐसी आकस्मिक रिक्ति के लिए जिसके लिए उसके पद-पूर्ववर्ती की पदावधि शेष रही होगी :

परंतु, यदि ऐसी कोई रिक्ति, जो उस दिनांक से जिस दिनांक को निर्वाचित पार्षदों की पदावधि समाप्त हुई है, ऐसे दिनांक से छह महीनों के भीतर, हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति, निर्वाचित पार्षदों के बीच से निर्वाचन द्वारा भर दी जाएगी।

(८) अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद होने की दशा में, धारा २१ के उपबंध **यथावश्यक परिवर्तन सहित** लागू होंगे।

(९) कलक्टर, परिषद और अध्यक्ष के आम निर्वाचन के पश्चात्, जिस दिनांक को अध्यक्ष और निर्वाचित पार्षदों के नाम **राजपत्र** में प्रकाशित होते हैं उस दिनांक से पच्चीस दिनों के भीतर, परिषद की प्रथम साधारण बैठक बुलाएगा। धारा ९ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन पार्षदों का नामनिर्देशन, इस बैठक में विहित रीत्या में किया जाएगा।"।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१ क में संशोधन ।

७. नगरपरिषद अधिनियम की धारा ५१ क में, उप-धारा (६) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (६क) महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ के प्रारम्भण के पश्चात्, वह नगर परिषद जिसमें अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाते है, के संबंध में, इस धारा के उपबंध, निम्न उपांतरण के साथ लागू होंगे, :—

(एक) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

(१) प्रत्येक नगर परिषद का एक उपाध्यक्ष होगा, जो धारा ५१ क-१ क की उप-धारा (९) के अधीन बुलाई गई प्रथम सामान्य बैठक में निर्वाचित पार्षदों में से उनके द्वारा निर्वाचित किया जायेगा। ";

(२) उप-धारा (६) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(६) इस अधिनियम की धारा ५५ क के उपबंधों तथा अन्य उपबंधों के अध्यधीन, उपाध्यक्ष उसके निर्वाचन के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा उसकी अवधि परिषद की अवधि के साथ सह-पर्यवसित होगी"।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१ ख में संशोधन ।

८. नगर परिषद अधिनियम की धारा ५१ ख की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोडी जायेगी, अर्थात् :—

" (४) इस धारा के उपबंध तब तक लागू नहीं होगें जब तक अध्यक्ष, धारा ५१ क-१ क के अधीन निर्वाचित हो गया है।"।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५२ में संशोधन ।

९. नगर परिषद अधिनियम की धारा ५२, उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनः क्रमांकित की जायेगी तथा इसप्रकार पुनः क्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ, जोड़ी जोयेंगी, अर्थात् :—

" (२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५१ क-१ क की उप-धारा (१) के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि, पाँच वर्ष की होगी तथा परिषद की अवधि से वह सह-पर्यवसित होगी।

(३) उप-धारा (२) में कोई भी बात, अध्यक्ष की पदावधि को लागू नहीं होगी जिन्होंने महाराष्ट्र नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश २०१६ के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व सामान्य निर्वाचन से अध्यक्ष के पद धारण किए है तथा इस धारा के उपबंध, ऐसे प्रारम्भण के दिनांक से तत्काल अग्रता से ऐसे अध्यक्षों के पद की अवधि के संबंध में निरंतर लागू होंगे "। सन् २०१६ महा. अध्या. क्र. ९।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५५ में संशोधन ।

१०. नगर परिषद अधिनियम की धारा ५५ की, उप-धारा (१) के, परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर तथा पार्षदों द्वारा उनमें से निर्वाचित किए गये अध्यक्ष के मामले में, ऐसे निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष के भीतर ऐसा संकल्प नहीं लाया जायेगा। "।

सन् १९६५ का महा. ४० में धाराएँ ३४१ ख-१ से ३४१ ख-६ का निवेशन।

११. नगर परिषद अधिनियम की धारा ३४१ ख के पश्चात्, निम्नधाराएँ, निविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—

नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन।

" **३४१ ख-१.** (१) धारा ५१-१ क के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक **नगर पंचायत** का एक अध्यक्ष होगा जो निर्वाचित पार्षदो द्वारा उनमें से निर्वाचित किया जायेगा। "।

(२) कलक्टर, **नगर पंचायत** के लिए निर्वाचित पार्षदों के नाम प्रकाशित या, यथास्थिति, धारा १९ की उप-धारा (१) के अधीन **राजपत्र** में प्रथम प्रकाशित होने के दिनांक से पच्चीस दिनों के भीतर, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पार्षदों की विशेष बैठक आयोजित करेगा :

परंतु, यह कि, इस धारा के अधीन बैठक, पदावरोही पार्षदों का पदावधि अवसित होने के पूर्व नहीं ली जायेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन बुलाई गई बैठक, की अध्यक्षता कलक्टर या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त मे लिखित में आदेश द्वारा कलक्टर नियुक्त कर सकेगा। कलक्टर या ऐसे अधिकारी को, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करते समय वहीं शक्तियां प्राप्त होगी जैसी **नगर पंचायत** के अध्यक्ष की बैठक करते समय नगर पंचायत के अध्यक्ष को प्राप्त होती है किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा :

परंतु, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बैठक की प्रक्रिया के विनियमन के लिए उसमें आवश्यक गणपूर्ति (समेत) ऐसी बैठक की अध्यक्षता में कलक्टर या अधिकारी ऐसे कारणों के लिए जो उनकी राय में पर्याप्त है, तो ऐसी बैठक स्थगित करने से इन्कार कर सकेगा।

(४) किसी नामनिर्देशनपत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के कलक्टर या ऐसे अधिकारी के निर्णय द्वारा व्यथित कोई पार्षद, ऐसे निर्णय की सूचना से अड़तालीस घंटो के भीतर, संबंधित नगर प्रशासन के प्रादेशिक निदेशक को अपील प्रस्तुत कर सकेगा, तथा साथ-साथ ऐसे अपील की सूचना कलक्टर या ऐसे अधिकारी को दे सकेगा। ऐसा अपील, प्रादेशिक निदेशक द्वारा, संबंधित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र निपटाया जायेगा। ऐसे अपील पर प्रादेशिक निदेशक का निर्णय तथा ऐसे निर्णय के अध्यधीन (यदि कोई हो) कलक्टर या यथास्थिति ऐसे अधिकारी का स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा।

(५) यदि, अध्यक्ष के निर्वाचन में समान मत मिलते है तो निर्वाचन के परिणाम लाट में चिठ्ठी द्वारा कलेक्टर या ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जैसे वह निर्धारित करे ऐसे रित्या में उनकी अध्यक्षता में निर्णय लिया जायेगा।

(६) अध्यक्षता के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद हो तो, राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा, उनका निर्णय इस निमित्त अंतिम होगा।

(७) अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात्, **नगर पंचायत,** उनकी बैठक उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए आगे जारी रखेगी।

(८) यदि, चाहे किसी भी सम्यक कारण से अध्यक्ष के पद की रिक्ति होती है तो अध्यक्ष के पश्चातवर्ती निर्वाचन के लिए, उप-धारा (२) से (६) में (दोनों मिलकर) यथा अधिकथित समान प्रक्रिया लागू होगी, लेकिन यह कि कलक्टर, जिस दिन पर रिक्ति पाई जाती है उस दिनांक से पच्चीस दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा।

(९) उप-धारा (२) के उपबंधों के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष का ढाई साल का पहला कालावधि अवसित होने के पश्चात्, पश्चातवर्ती निर्वाचन, पूर्वतर अध्यक्ष की उक्त अवधि के अवसित होने के पूर्व आठ दिनों के भीतर लिया जायेगा :

परंतु, यह कि, नवनिर्वाचित अध्यक्ष पदावरोही अध्यक्ष के अवधि के अंतिम दिन या उसके बाद दूसरे दिन पर अपना कार्यभार लेगा।

नगर पंचायत के उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

"**३४१ ख-२.** (१) प्रत्येक **नगर पंचायत** का उपाध्यक्ष होगा, जो धारा ३४१ ख-१ की उप-धारा (२) के अधीन बुलाई गई विशेष बैठक में से निर्वाचित पाषदों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

(२) उपाध्यक्ष के निर्वाचन की बैठक में, कलक्टर या कलक्टर द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से नामित ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करेगा परंतु, कलक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा :

परंतु, इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बैठक की प्रक्रिया के विनियमन के लिए (उसमें आवश्यक गणपूर्ति समेत) कलक्टर या, यथास्थिति, अधिकारी, लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले पर्याप्त कारणों के लिए उनकी अध्यक्षता की ऐसी बैठक स्थगित करने से इन्कार करेगा।

(३) यदि, उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मतों में समानता हो तो, निर्वाचन के परिणाम, लाट में चिठ्ठी निकालकर ऐसी बैठक की अध्यक्षता करनेवाले अधिकारी द्वारा विनिर्णय किया जायेगा।

(४) इस प्रकार निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम, कलक्टर द्वारा, ऐसे निर्वाचन के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर, **राजपत्र** में, अधिसूचित किया जायेगा।

(५) उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो तो, राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा, जिसपर उनका निर्णय अंतिम होगा।

(६) इस अधिनियम की धारा ५५ के उपबंधों तथा अन्य उपबंधों के अध्यधीन, उपाध्यक्ष, उनके निर्वाचन के दिनांक से ढाई वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(७) यदि चाहे किसी भी कारणों के लिए उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति पाई जाती है तो उप-धारा (१) से (३) में विहित प्रक्रिया अपना कर वह रिक्ति भरी जायेगी तथा इसी प्रकार निर्वाचित उपाध्यक्ष केवल शेष अवधि के लिए, पद में रहेगा जो उसके पूर्वाधिकार की अवधि के रिक्ति के बाद का हो।

नगर पंचायत के पार्षदों का नामनिर्देशन।

३४१ख-३. (१) कलक्टर, अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से सात दिनों के भीतर, पार्षदो के नामांकन के प्रयोजन के लिये विशेष बैठक बुलाएगा ।

(२) धारा ९ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन, पार्षदों के नामनिर्देशन विहित रित्या मे होंगे।

(३) उप-धारा (१) के अधीन बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कलक्टर या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त लिखित में आदेश द्वारा, कलक्टर नियुक्त कर सकेगा। कलक्टर या ऐसो को अधिकारी, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करते समय, वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जैसी नगर पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करते समय **नगर पंचायत** के अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा :

परंतु, बैठको में प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिये (उसमें आवश्यक गणपुर्ति के समेत), ऐसी बैठक की अध्यक्षता करनेवाला कलक्टर या अधिकारी कारणों के लिये, जो उसकी राय में पर्याप्त है, ऐसी बैठक स्थगित करने से इनकार कर सकेगा।

नगर पंचायत के अध्यक्ष की पदावधि।

३४१ख-४. अध्यक्ष की पदावधि, ढाई वर्ष की होगी।

पार्षदों द्वारा **नगर पंचायत** के अध्यक्ष को हटाना।

३४१ख-५. (१) **नगर पंचायत** का अध्यक्ष, अध्यक्ष होने से परिविरत हो जायेगा यदि, पार्षदों की कुल संख्या के तीन चौथाई से अनिम्न बहुमत द्वारा विशेष बैठक में पारित एक संकल्प द्वारा ऐसा करने का विनिश्चय करते हैं :

परंतु, ऐसा कोई संकल्प, अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर लाया नहीं जायेगा।

(२) ऐसी विशेष बैठक के लिये आवश्यकताएँ, पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अनून द्वारा हस्ताक्षरित होंगी और कलक्टर को भेजी जायेगी।

(३) कलक्टर, उप-धारा (२) के अधीन आवश्यकताओं की प्राप्ति के दिनांक से दस दिनों के भीतर, परिषद की विशेष बैठक आयोजित करेगा :

परंतु, जब कलक्टर विशेष बैठक का आयोजन करेगा, तब वह उसकी सूचना अध्यक्ष को देगा।

(४) उप-धारा (१) के अधीन, संकल्प का विचार करने के लिये बैठक की अध्यक्षता कलक्टर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जायेगी, किंतु, कलक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(५) नामनिर्देशित पार्षदों को, अध्यक्ष को हटाने से संबंधित किसी संकल्प पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(६) यदि, अध्यक्ष को हटाने में आशयित संकल्प उप-धारा (३) के अधीन के प्रयोजन के लिये आयोजित विशेष बैठक में संचालित नहीं होता या, यथास्थिति, अस्वीकार होता है तो, अध्यक्ष को हटाने में आशयित कोई भी नया संकल्प, **नगर पंचायत** के समक्ष लाया नहीं जायेगा।

पार्षदों द्वारा **नगर पंचायत** के उपाध्यक्ष को हटाना।

३४१ख-६. (१) उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष होने से परिविरत हो जायेगा, यदि पार्षदों की कुल संख्या के दो-तिहाई से अनून बहुमत द्वारा विशेष बैठक में, **नगर पंचायत** द्वारा पारित संकल्प द्वारा ऐसा करने के लिये विनिश्चय किया जाता है :

परन्तु, ऐसा कोई संकल्प, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर लाया नहीं जायेगा।

(२) ऐसी विशेष बैठक के लिये आवश्यकताएँ, पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अनून द्वारा हस्ताक्षरित होंगी और अध्यक्ष को भेजी जायेगी, तथा अध्यक्ष, ऐसी आवश्यकताओं की प्राप्ति के दिनांक से दस दिनों के भीतर, **नगर पंचायत** की विशेष बैठक का आयोजन करेगा, जहाँ नामनिर्देशित पार्षदों को मत देने का अधिकार नही होगा।

(३) यदि, उपाध्यक्ष को हटाने में आशयित संकल्प, उप-धारा (२) के अधीन के प्रयोजन के लिये आयोजित विशेष बैठक में संचालित नहीं होता या अस्वीकार होता है, तब ऐसे हटाने के लिये कोई भी संकल्प, ऐसे उपाध्यक्ष की कालावधि के दौरान नहीं लाया जायेगा।''।

अध्याय चार

विविध

कठिनाई निराकरण की शक्ति ।

१२. इस अध्यादेश द्वारा, यथा संशोधित महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम या, यथास्थिति, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत हो तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई ऐसे निदेश दे सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

सन् १९४९ का ५९।

सन् १९६५ का महा. ४०।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

वक्तव्य

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) तथा महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (सन् १९६५ का महा. ४०) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार नगर निगम तथा नगर परिषद में प्रत्येक प्रभाग में केवल एक पार्षद निर्वाचित होता है। उनमें से निर्वाचित पार्षदों द्वारा, नगर परिषद का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया जाता है।

वर्तमान स्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् तथा निगमों और नगर परिषदों के सरल कार्यवाही की सुनिश्चिति करने की दृष्टि से, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंधों को यथोचितरित्या उपांतरण करना इष्टकर समझती है।

२. प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है :—

(एक) **बहु सदस्य प्रभाग प्रणाली.—**यह उपबंध करने का प्रस्तावित हैं कि, नगर निगम का हर एक प्रभाग, यथासंभव चार पार्षद, किंतु तीन से अनून और पाँच से अधिक पार्षद न हो, निर्वाचित करेगा। नगर परिषद के मामले में, नगर परिषद का हर एक प्रभाग, दो पार्षद, किंतु तीन पार्षदों से अधिक न हो, निर्वाचित करेगा। क्रमशः अधिनियम सन् १९४९ का ५९ और सन् १९६५ का महा. ४० की धाराएँ ५ और १० संशोधित करना प्रस्तावित है।

(दो) **नगर परिषद के अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन.—**यह उपबंध करने का प्रस्तावित है कि, नगर परिषद का अध्यक्ष, परिषद के सामान्य निर्वाचन पर परिषद के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होगा।

तथापि, ऐसे उपबंध, **नगर पंचायत** के संबंध में, लागू नही होंगे तथा यह प्रणाली लोकप्रिय है, यह **नगर पंचायत** के अध्यक्ष के संबंध में निरंतर लागू रहेंगे।

परिणामतः, उपाध्यक्ष के निर्वचन से संबंधित उपबंधों का उपांतरण करना भी प्रस्तावित है, जहाँ अध्यक्ष, परिषद के सामान्य निर्वाचन में परिषद के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होता है।

तद्नुसार, उपरोक्त प्रयोजनों के लिये सन् १९६५ का महा. ४० में यथोचितरित्या धाराएँ २, ९, ५१क, ५१ख, ५२, ५५ संशोधित करना तथा नई धाराएँ ५१क-१क, ३४१ख-१, ३४१ख-२, ३४१ख-३, ३४१ख-४, ३४१ख-५ तथा ३४१ ख-६ निविष्ट करना प्रस्तावित है।

३. क्योंकि, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, उपरोक्त प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) तथा महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) में शीघ्र संशोधन करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित हुआ है।

मुंबई,
दिनांकित १९ मई २०१६।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनिषा पाटणकर-म्हैसकर,
सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.